

2/3/22

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकार ने विवेक  
किया कि वाद को राष्ट्रीय लोक न्यायालय के  
रखे जाये म्मे कि पक्षकार के बीच समझौता  
हो गया है। पत्रावली दिनांक 12/3/22  
को राष्ट्रीय लोक न्यायालय में प्रेषित है।

*[Signature]*

12/3/22

पत्रावली प्रस्तुत। लोक न्यायालय में लगी  
पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के  
कारण कोई बहस नहीं की। पत्रावली  
दिनांक 16/3/22 को प्रेषित है।

*[Signature]*

16/3/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली  
पूर्व आदेशानुसार आवद्ध दिनांक 22/3/22 को प्रस्तुत हो

*[Signature]*

22/3/22

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी/प्रतिवादी  
उपस्थित। न्यायालय को डाक पुराना जाके  
पत्र ना तो वादी/प्रतिवादी वकील



वाहीदा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत  
नहीं हुए। अतः वाइ रुदय हाजिरी रुदय  
पैके में खासिय किता जाता है पत्राकमी  
निपतनुकाए दाखिल कएत हेतु नम्बर  
ले का है।

*P. J. J.*

(प्रियंता गलनिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ